सख्या-87/2025/642/35-4-2025/35-4099/259/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
जालौन।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 30 जुलाई, 2025

विषय- जनपद जालौन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-627/2023/1345/259/35-4-2023 दिनांक 31.03.2023 द्वारा स्वीकृत निर्माण प्रश्नगत कार्य (मिझौना से रामपुरा माधौगढ़ होते हुए हरौली संपर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य) हेतु अनुमोदित लागत रू0 312.02 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 156.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्रांक-457/त्य0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 एवं पत्रांक-1166/IC दिनांक 02 जून, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुत की गई धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुये एवं अनुबंध के आधार पर बचत की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

3- अतः एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 **63.93 लाख (रूपये तिरेसठ लाख तिरानबे हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की लागत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
मिझौना से रामपुरा माधौगढ होते हुए हरौली संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	312.02	72.85	72.85	239.17	156.01	63.93

1. उक्त संदर्भित शासनादेशों दिनांक 31 मार्च, 2023 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगल कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब् याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. प्रश्नगत स्वीकृत कार्यों/अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि संलग्न प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त निर्गत की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनि श्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वी कृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शतो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत कार्यों को शासनादेश संख्या-687/35-4-2025-35-4099/184/2023 (पार्ट-1), दिनांक 17 जुलाई, 2025 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूरा किया जा सके।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रु. **63.93 लाख (रूपये तिस्सठ लाख तिरानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2925, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-87/2025/642(1)/35-4-2025/35-4099/259/20221 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7. मंडलायुक्त, झांसी मण्डल ।
8. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी जालौन ।
13. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जालौन ।
14. संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।